

**उत्तराखण्ड शासन**  
**राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड**

**विज्ञप्ति**

31 अक्टूबर, 2025 ई०

पत्रांक-443/तीन-118/च०सं०/2025-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-767/XVIII(3)/2025-03(07)/2016, दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, परगना व तहसील रुड़की के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है:-

| क्र०सं० | ग्राम का नाम               | तहसील  | परगना  | जनपद     |
|---------|----------------------------|--------|--------|----------|
| 1       | 2                          | 3      | 4      | 5        |
| 1-      | डन्ढेड़ी खाजगीपुर अहतमाल   | रुड़की | रुड़की | हरिद्वार |
| 2-      | डन्ढेड़ी खाजगीपुर मुस्तहकम | रुड़की | रुड़की | हरिद्वार |

रंजना राजगुरु,  
संचालक, चकबन्दी/  
आयुक्त एवं सचिव,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 22-11-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 49 राजस्व/545-31-12-2025-150 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)